भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3910
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों के लिए ऋण माफी योजनाएँ
3910. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सभी फसलों को सी2+50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) किसानों और खेतिहर मजदूरों को ऋणग्रस्तता, किसान आत्महत्या और संकट के कारण पलायन से राहत दिलाने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी फसलों और पशुपालन के लिए व्यापक बीमा योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

(ख): वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ऋण माफी की कोई योजना संचालित नहीं है। यद्यपि, किसानों को उनकी वित्तीय कमज़ोरियों को व्यवस्थित तरीके से दूर करने के लिए पीएम किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संशोधित ब्याज अनुदान योजना जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 मौसम से प्रारंभ की गई थी। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और किसानों की आय को स्थिर करने आदि के लिए है। वर्ष 2016 में इस योजना के शुभारंभ के बाद से, किसानों ने कुल 35,753 करोड़ रुपये का प्रीमियम अदा किया है और उन्हें 1.83 लाख करोड़ रुपये (दिनांक 30.06.2025 तक) के दावे प्राप्त हुए हैं, जो इसी अवधि के दौरान किसानों द्वारा चुकाए गए प्रीमियम का लगभग 5 गुना है।

सरकार, केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत देश के सभी जिलों में, पशुधन बीमा नामक घटक को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के कारण किसी भी संभावित हानि के प्रति सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जोखिम तथा अनिश्चितताओं का प्रबंधन एवं शमन करना है।

इसमें देशी/ संकर नस्ल दुधारू पशुओं, बोझ ढोने वाले पशुओं (घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, टट्टू और मवेशी/भैंस के नर पशु) और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन) का बीमा पशुधन बीमा के अंतर्गत शामिल हैं। सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार 10 मवेशी इकाइयों तक सीमित है, सूअर और खरगोश के अतिरिक्त सभी जानवरों के लिए, जहां लाभ 5 मवेशी इकाइयों (प्रति मवेशी इकाई = 10 छोटे जानवर) तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के संदर्भ में, सब्सिडी का लाभ "मवेशी इकाई" के आधार पर प्रतिबंधित है और एक मवेशी इकाई 10 जानवरों अर्थात भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के समतुल्य है। इस प्रयोजन के लिए, "हाउसहोल्ड" को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अपनाई गई समान तर्ज के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

प्रीमियम भुगतान में किसान का हिस्सा जाति और निवास क्षेत्र के आधार पर 20-50% से घटाकर 15% कर दिया गया है। शेष 85% राशि, हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त केंद्र तथा राज्य द्वारा अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में और हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाएगी।

विगत चार वर्षों के दौरान पशुधन बीमा योजना की उपलब्धियाँ

वित्त वर्ष			
2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
जारी की गई धनराशि (रुपये लाख में)			
3324.31	2491.6	2229.58	3651.53
बीमाकृत पशुओं की संख्या			
4,63,046	11,85,740	9,67,632	26,69,711

*****